

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 173/2015 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 04-06-2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

### बनाम

1. अन्नू पुत्र आत्मदास सुमन, उम्र 20 वर्ष।
2. मन्नू उर्फ धर्मेन्द्रसिंह पुत्र आत्मदास सुमन उम्र 18 वर्ष। निवासीगण नया घनश्यामपुरा वार्ड नम्बर 4 गोहद, आरक्षीकेन्द्र गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
3. बीरू उर्फ बीरसिंह पुत्र राकेश सुमन उम्र 19 वर्ष, निवासी नया घनश्यामपुरा वार्ड नम्बर 3 गोहद, आरक्षीकेन्द्र गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.।

-----अभियुक्त

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्त द्वारा श्री के0पी0राठौर अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 26-07-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण का विचारण धारा 354(क), 323, 504 भा0दं0वि0 एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 04.04.2015 को दोपहर 1 बजे एवं उसके पूर्व दो तीन माह से घनश्याम पुरा वार्ड नम्बर 3 गोहद जिला भिण्ड में पीडिता जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की नावालिग है की लज्जा भंग करने के आशय से छेड़-छाड़ की और उससे बुरी बुरी गंदी बातें की। उन पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय स्थान पर पीडिता के भाई अजय एवं मामा पूरन के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहति कारित कर फरियादी एवं उसके परिवार के अन्य लोगों को साशय अपमानित किया जिसके प्रकोपन से लोकशांति भंग कारित करेगा। उन

पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग है के साथ छेड़-छाड़ कर उसके साथ भाग जाने के लिए कहते हुए लैंगिक हमला कारित किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 05.04.2015 को फरियादी ने थाने पर सूचना दी कि दिनांक 04.04.2016 को वह अपने घर के बाहर खड़ी थी तभी मोहल्ले का लडका आरोपी अन्नू जाटव जो कि उसे पहले से भी छेड़ता था आया और बोला कि उसके साथ भाग चल वह शादी बनाएगा। उक्त बात उसने अपने मम्मी पापा सुनीता व श्रीकृष्ण को बताई कि आरोपी अन्नू उसे 3-4 महीने से छेड़ता रहता है उसका घर से निकलना मुश्किल कर दिया है तब उसके पिता ने उसे चिनकू पुरा मामा के यहाँ भेज दिया और उसके पापा ने आरोपी अन्नू के पिता व मामा से उक्त बात की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि उसे डांट देंगे आज के बाद वह कोई हरकत नहीं करेगा तब वह भी अपने मामा के यहाँ घनश्यामपुरा आ गई। दिनांक 05.04.2015 को सुबह नौ बजे करीब आरोपीगण अन्नू मन्नू व बीरू आदि ने उसके भई अजय, मामा अरविंद, पूरन के साथ लात घूसों से मारपीट की और कहा कि मादरचोद हमारी झूठी शिकायत करता है। घटना को विजय, देशराज ने देखा। उक्त सूचना पर से थाना गोहद में अप0कं0 95/2015 धारा 354, 323, 294, 34 भा0दं0वि0 की लेखबद्ध की गई। प्रकरण विवेचना में लिया गया दौराने विवेचना आहतगण का मेडीकल परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गए एवं पीडिता के धारा 164 जा0फौ0 के मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन लेखबद्ध कराए गए। दौराने विवेचना पीडिता की दसवी की अंकसूची जप्त की गई जिसके आधार पर पीडिता 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग होने के आधार पर धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का इजाफा किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि कमिटि उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 354क, 323, 504, भा0दं0वि0 एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए रंजिशन झूठा फंसाया

जाना अभिकथित किया है।

05. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या घटना दिनांक 04.04.2015 या उसके पूर्व फरियादिया/पीडिता 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग थी?
2. क्या आरोपीगण की लज्जा भंग करने के आशय रखते हुए उसे छेड़-छाड़ कर उससे बुरी बुरी, गंदी बातें की?
3. क्या आरोपीगण के द्वारा उक्त दिनांक समय स्थान पर पीडिता के भाई अजय एवं मामा पूरन के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई?
4. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादिया एवं उसके परिवार के अन्य लोगों को साशय अपमानित किया जिसके प्रकोपन से लोकशांति भंग कारित करेगा?
5. क्या आरोपीगण के द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर नावालिग पीडिता के प्रति लैंगिक हमला कारित किया?

### **-: सकारण निष्कर्ष:-**

#### **बिन्दु क्रमांक 1 :-**

06. पीडिता की माँ सुनीता अ0सा0 2 के द्वारा घटना के समय पीडिता की उम्र 17 वर्ष होनी और 11वीं कक्षा में पढ़ना बताई है। पीडिता की माँ का उक्त बिन्दु पर कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस संबंध में पीडिता अ0सा0 1 के द्वारा भी घटना के समय उसकी उम्र 17 वर्ष की होना और कक्षा 11वीं में पढ़ना बताया है। इस बिन्दु पर पीडिता का कथन अखण्डनीय रहा है। इस संबंध में पीडिता के मामा अरविंद के द्वारा भी घटना के समय उसकी उम्र 17 वर्ष की होना बताया है। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में याददास्त के आधार पर पीडिता का जन्म सन् 1995 का होना बता रहा है, किन्तु मात्र उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बताए गए उक्त तथ्य के आधार पर इस बिन्दु पर पीडिता की माँ एवं पीडिता के द्वारा बताए गए कथन प्रतिखण्डित नहीं होते हैं।

07. पीडिता की उम्र के संबंध में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहद के प्राचार्य शिवप्रतापसिंह अ0सा0 5 के कथन कराए हैं। जिन्होंने पीडिता के उनके विद्यालय में दाखिल होते समय भर्ती रजिस्टर के अनुसार उसकी जन्मतिथि दिनांक 10.07.1997 अंकित

होना और मूल भर्ती रजिस्टर प्र.पी. 5 जिसकी छायाप्रति प्र.पी. 5सी है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी पीडिता के टी.सी. आदि दस्तावेज के आधार पर जन्मतिथि अंकित करना बता रहा है जो कि पीडिता उनके विद्यालय में कक्षा 9 वीं में प्रवेश हुई है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

08. पीडिता के माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल का हाईस्कूल सर्टिफिकेट 2013 की अंकसूची भी अभियोजन के द्वारा अभिलेख के साथ पेश की गई है, जिसमें भी उसकी जन्मतिथि दिनांक 10.07.1997 अंकित है। इस प्रकार विद्यालय रिकार्ड के अनुसार पीडिता की जन्मतिथि दिनांक 10.07.1997 होनी स्पष्ट होती है।

09. आयु के अवधारण के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाली अपेक्षित साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में आयु के विषय में उपधारणा और उसके अवधारण बावत् धारा 94 किशोर न्याय (बालकों के देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015) की धारा 94(2) में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि उम्र के अवधारण के संबंध में— (1) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो। (2) और उसके अभाव में निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र। (3) उपरोक्त फस्ट और सेकण्ड के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जाएगा।

10. इस प्रकार उक्त अधिनियम के अंतर्गत जो कि नावालिग की उम्र के निर्धारण हेतु एक दिशा निर्देश के रूप में है के अनुसार विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र इस संबंध में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। पीडिता के जन्म के संबंध में संबंधित पीडिता के माँ और उसके कथन जो कि किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं है। ऐसी दशा में घटना जो कि दिनांक 04.04.2015 की होनी बताई गई है उस समय पीडिता की उम्र 17 साल 8 माह 24 दिन की होनी पाई जाती है जो कि घटना के समय नावालिग होना प्रमाणित होती है।

#### बिन्दु क्रमांक 2 लगायत 5:-

11. घटना के संबंध में पीडिता अ0सा0 1 के द्वारा आरोपीगण को पहचानना स्वीकार किया है, किन्तु उसके द्वारा केवल यह बताया गया है कि किसी ने उसे गलत शब्द बोले थे और कहा था कि उसके साथ शादी कर ले। बोलने वाला दूसरी तरफ मुँह किए हुए था इसलिए वह उसे देख नहीं पाई कि वह कौन था। उक्त बात उसने अपनी मम्मी पापा को बताई थी और रिपोर्ट करने मम्मी पापा के साथ थाना गई थी। रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिसके ए से



ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मजिस्ट्रेट के समक्ष वह वयान देने भी आई थी। घटना की पीडिता को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर उसे सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उसने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी अन्नू 3-4 महीने से उसे छेड़छाड़ करता रहा था जिससे उसका घर से भी निकलना मुश्किल हो गया था और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि दिनांक 05.04.2015 को सुबह नो बजे आरोपी अन्नू, मन्नू और बीरू ने उसके भाई अजय और मामा अरविंद की लात घूसों से मारपीट की थी और गाली गलोज किया था और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी अन्नू बोला कि उसके साथ चल शादी कर लेगे। प्रतिपरीक्षण में साक्षिया यह बताई है कि हाजिर अदालत आरोपीगण ने उसके साथ कभी भी किसी प्रकार की कोई अश्लील हरकत नहीं की और उनके बारे में उसने अपने माता पिता को नहीं बताया था।

12. अभियोजन प्रकरण के संबंध में पीडिता की माँ सुनीता अ0सा0 2 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उसकी लडकी ने उसे बताया था कि लडके लोग उसे परेशान करते हैं। उसने बताया था कि अन्नू उसे परेशान करता है और बोलता था कि उससे शादी कर ले और उसका भाई ज्यादा बोलता है तो उसे मरवा दो। साक्षिया ने यह भी बताया है कि आरोपीगण ने उसके भाई तथा बच्चे और पति की मारपीट की थी, फिर थाने में आकर पुलिस को उक्त बात बताई थी और बच्ची का कोर्ट में भी वयान हुआ था।

13. अभियोजन साक्षी श्रीकृष्ण अ0सा0 3 जो कि पीडिता का पिता है के द्वारा बताया है कि घटना के समय वह दिल्ली में था और उसके घर वालों ने बताया था कि कुछ लोगों से झगडा हो गया है, इसके बाद वह घर आया था। उक्त साक्षी के कथन में भी प्रकरण व आरोपीगण के घटना में संलग्न होने के संबंध में कोई पुष्टि नहीं होती है। साक्षी अरविंद अ0सा0 4 जो कि पीडिता का मामा है के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, सूचक प्रश्नों के दौरान उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को किसी भी बिन्दु पर समर्थन या पुष्टि करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। अभियोजन साक्षी अजय अ0सा0 6 जो कि पीडिता का भाई है के द्वारा केवल यह बताया गया है कि वह अपने मामा और नाना के साथ गांव जा रहा था तभी दो तीन लडके कन्या स्कूल के सामने आये और उनकी मारपीट कर दी थी। उसके मामा पूरन को पैर में चोटें आई थी। उसकी बहन ने बताया था कि दो-तीन लडके स्कूल आते जाते समय परेशान करते हैं, किन्तु साक्षी के कथन में कहीं भी आरोपीगण के द्वारा पीडिता को परेशान करने के संबंध में उसके द्वारा कोई भी बात नहीं बताई गई है। यद्यपि साक्षी आरोपीगण को पहचानना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को

अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन को किसी भी बिन्दु पर समर्थन करने का कोई तथ्य नहीं आया है।

14. अन्य अभियोजन साक्षी पूरन अ0सा0 7 जो कि घटना का अन्य आहत होना बताया गया है के द्वारा भी यह बताया गया है कि दो तीन लडकों का कन्या स्कूल गोहद के सामे आए और उन्होंने उसकी मारपीट कर दी थी। उसके साथ अजय भी था और उसकी भी मारपीट कर दी थी। उसके पैर में चोट आई थी। विजय और देशराज ने बीच बचाव किया था। उसकी नातिन/पीडिता ने बताया कि स्कूल आते जाते समय दो तीन लडके उसे परेशान करते हैं। उक्त साक्षी के कथनों में भी आरोपीगण के अपराध में संलग्न होने के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं आया है। यद्यपि उक्त साक्षी भी आरोपीगण को पहचानना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।

15. अभियोजन साक्षी विजय अ0सा0 8 के कथनों में भी केवल यह आया है कि कन्या स्कूल गोहद के पास वह चाय पी रहा था और थोड़ी दूरी पर झगड़े की आवाज आई तो वह पहुँचा तो अजय को उसने चोटें देखी थी। उक्त साक्षी के कथन में भी आरोपीगण के अपराध में संलग्न होने या उनके द्वारा कोई घटना कारित किये जाने का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

16. थाना प्रभारी सुनील खेमरिया अ0सा0 9 के द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि फरियादिया ने थाने में आकर लिखाई थी, रिपोर्ट प्र.पी. 1 लेखबद्ध करना और उसके डी से डी भाग पर उनके हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। अभियोजन साक्षी ए.एस.आई. ऊदलसिंह अ0सा0 10 जो कि प्रकरण का विवेचना अधिकारी हैं, विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 6 तैयार करने और बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। इसके अतिरिक्त पीडिता और साक्षी श्रीकृष्ण, पूरन, अरविंद, अजय के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध करना बताया है। आरोपीगण अन्नू, मन्नू व बीरू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 10, 11, 12 तैयार करना बताया है तथा साक्षीगण देशराज, विजय एवं सुनीताबाई के कथन भी लेखबद्ध करना बताया है।

17. डॉक्टर धीरज गुप्ता अ0सा0 11 आहत अजय एवं आहत पूरन का चिकित्सीय परीक्षण करना और चिकित्सीय परीक्षण में आहत अजय को नाक के आधार पर सूजन पाई थी

जिसका एकसरे की सलाह दी थी। उक्त चोट कठोर एवं भौतरी वस्तु से आ सकना बतायी थी। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 13 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। आहत पूरन के चिकित्सीय परीक्षण में खरौंच दाएं तरफ टैम्पोरल मेडीबुलर ज्वाइंट एरिया में था जिसका आकार 3 गुणा 0.2 से.मी. जो कि समांतर थी तथा बाएं स्केपुला पर कंटूजन जिसका आकार 3 गुणा 2 से.मी. तथा कंटूजन बाईं तरफ छाती पर थी जो कि दूसरी व तीसरी पसली के बीच में थी जिसका आकार 2 गुणा 2 से.मी. था एवं आहत दाएं पैर के पीछे की तरफ दर्द बता रहा था तथा दो खरौंच बाएं हाथ में समान्तर थी, समान आकार की थी। साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया है कि आहत को आई चोट क्रमांक 1 लगायत 4 कठोर एवं मौथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी तथा चोट क्रमांक 5 नाखून, पिन या कांटों से आना प्रतीत होती थी। आहत को आई सभी चोटें सामान्य प्रकृति की थी जो कि 0 से 6 घण्टे के अंदर की थी। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 14 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

18. अभियोजन प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में अभियोजन साक्षिया सुनीता अ0सा0 2 जो कि पीडिता की माँ है के मुख्य परीक्षण में यह बताया गया है कि उसकी लडकी ने उसे बताया था कि आरोपी अन्नू उसे परेशान करता है और शादी करने के लिए कहता है और उसके भाई को करवाने के लिए कहता है और आरोपी ने उसके भाई, बच्चे और पति की मारपीट की थी। उक्त साक्षिया प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार की है कि उसने अपनी आँखों से आरोपीगण को उसकी लडकी को छेड़ छाड़ करते हुए नहीं देखा था। इस बात को भी स्वीकार की है कि उसकी लडकी ने जिस अन्नू के बारे में बताया था वह कौन और कहाँ का था, इस संबंध में कुछ नहीं बताया था। हाजिर अदालत आरोपी अन्नू के संबंध में साक्षिया के द्वारा बताया गया है कि वह उनके ही मोहल्ले का और घर के पास का ही रहने वाला है और उसे सभी जानते हैं और इस बात को भी स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी अन्नू के संबंध में उसकी लडकी ने उसे कभी कुछ नहीं बताया था। पुलिस कथन प्र.डी. 1 उसकी लडकी के द्वारा उसे आरोपीगण के द्वारा छेड़छाड़ करने के संबंध में उसके पुलिस कथन प्र.डी. 1 पर ए से ए भाग के कथन पुलिस को नहीं देना बताई है और इसी प्रकार पुलिस कथन प्र.डी. 1 के बी से बी भाग का कथन भी पुलिस को नहीं देना बताई है। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर साक्षिया के पुलिस को दिए गए कथन एवं न्यायालय में हुए कथन में स्पष्ट रूप से विरोधाभास आया है। यह उल्लेखनीय है कि पीडिता के द्वारा कहीं भी आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा उसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की घटना कारित करने अथवा किसी प्रकार का अपशब्द आदि कहने के संबंध में कोई भी बात साक्ष्य के दौरान न्यायालय में नहीं बताई



गई है। उसके द्वारा कहीं भी अपने कथन में यह भी नहीं बताया गया है कि उसने आरोपीगण के द्वारा किसी प्रकार की घटना उसके साथ करने के संबंध में अपने माता पिता को कोई बात बताई थी। घटना में उसके पति, भाई व बेटा के साथ मारपीट आरोपीगण के द्वारा करना वह बता रही है, किन्तु इस संबंध में उसके पति श्रीकृष्ण अ.सा. 3 के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घटना दिनांक को वह घर पर नहीं था दिल्ली में था। ऐसी दशा में उसके साथ कोई मारपीट हुई हो। साक्षिया का यह कथन अतिसंयोक्तिपूर्ण लगता है। अन्य आहत अजय अ0सा0 6 और पूरन अ0सा0 7 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा उनके साथ मारपीट करने के संबंध में कोई बात नहीं बताई गई है।

19. ऐसी दशा में जबकि साक्षिया सुनीता अ0सा0 2 जो कि घटना की चक्षुदर्शी साक्षिया नहीं है उसे घटना के संबंध में अन्य लोगों, पीडिता के द्वारा बताए जाना पर वह घटना के बारे में बता रही है, किन्तु घटना की पीडिता व आहतगण के द्वारा कहीं भी आरोपीगण की घटनास्थल पर मौजूदगी अथवा उनके द्वारा पीडिता के साथ छेड़छाड़ की घटना होने के व अपशब्द कहे जाने अथवा मारपीट करने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया है। ऐसी दशा में मात्र साक्षिया सुनीता अ0सा0 3 के कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण की किसी बिन्दु पर प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

20. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि वर्तमान प्रकरण में धारा 354(क) भा0दं0वि0 एवं इसके अतिरिक्त बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत भी अभियोग है। उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत यह उपधारणा की जाएगी कि अपराध आरोपी के द्वारा ही किया गया है तथा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत आरोपी के अपराध करने हेतु मानसिक स्थिति की उपधारणा की जाएगी।

21. इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आरोपीगण के घटना के समय मौजूद होने एवं उनके द्वारा घटना कारित किए जाने का उल्लेख आया है तथा पीडिता के द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत न्यायालय में हुए कथन में भी आरोपीगण के घटना में शामिल होने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी पाई जाती है।

22. यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध नावालिग स्त्री पर लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में जो कि धारा 7 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में परिभाषित किया गया है तथा जिसके दण्ड का प्रावधान धारा 8



में है का भी आरोप है। लैगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 इस आशय का प्रावधान करती है कि यदि अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 का अपराध करने अथवा अपराध का दुष्प्रेरण करने के संबंध में अभियोग चल रहा है तब विशेष न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है अथवा ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है, जब तक अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जाए। इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति की आपराधिक मानसिक स्थिति के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें कि आरोपी के अपराध करने के संबंध में मानसिक स्थिति के बारे में उपधारणा की जाएगी तथा बचाव पक्ष को यह प्रमाणित करना होगा कि आरोपी की इस प्रकार की मानसिक स्थिति नहीं थी।

23. पीडिता के द्वारा अपने न्यायालय में हुए कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है। वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपीगण के घटना में संलग्न होने अथवा उनके द्वारा कोई घटना कारित किए जाना भी उसके द्वारा नहीं बताया जा रहा है। ऐसी दशा में आरोपीगण को घटना में संलग्न होने के संबंध में कोई भी प्रारंभिक विश्वास योग्य साक्ष्य मौजूद नहीं है।

24. जहाँ तक धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन का प्रश्न है। इस संबंध में **बैजनाथशाह विरुद्ध स्टेट ऑफ विहार 2010 (6) एस.सी.सी. 736** में यह अभिधारित किया है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत किए गए कथन तात्त्विक साक्ष्य नहीं होते हैं वह केवल साक्षी के द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कथन की तरह हैं और उस कथन करने वाले व्यक्ति के कथनों की पुष्टि या खण्डन करने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, इस प्रकार के कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सारवान साक्ष्य नहीं होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने के आधार पर उसके विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती। इस परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामदर्ज होने के आधार पर तथा धारा 164 जा. फौ. के कथन के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

25. जहाँ तक लैगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 के संबंध में उपधारणा का प्रश्न है तथा इस संबंध में अधिनियम की धारा 30 आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उपधारणा किए जाने हेतु प्रारंभिक तौर से तथ्य अभियोजन को दर्शित करना होगा। घटनास्थल पर आरोपीगण की मौजूदगी के तथ्य को ही पीडिता तथा अन्य अभियोजन साक्षियों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है तथा पीडिता के द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि आरोपीगण के द्वारा

उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की गई है। ऐसी दशा में धारा 29 तथा धारा 30 के अंतर्गत उपधारणा नहीं की जा सकती।

26. आरोपीगण के द्वारा घटना दिनांक समय स्थान पर आहत पूरन व अजय के साथ मारपीट कर उन्हें उपहति कारित करने के संबंध में भी उक्त साक्षियों के कथनों में कोई तथ्य नहीं आया है। मात्र चिकित्सक के अभिमत के आधार पर एवं साक्षिया सुनीता अ0सा0 2 के कथन के आधार पर इस संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणित नहीं होता है। इसी प्रकार घटना दिनांक को घटना समय स्थान पर फरियादी या उसके परिवार वालों को साशय अपमानित किया जो कि इस आशय कि ऐसे प्रकोपन से लोकशांति भंग करने के संबंध में आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा कोई कृत्य किया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है।

27. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण की घटना के समय घटनास्थल पर मौजूदगी अथवा उसके द्वारा पीडिता के साथ उसकी लज्जाशीलता भंग करने हेतु कोई घटना कारित की गई अथवा किसी प्रकार से लैंगिक हमला कारित करना एवं आहतों को मारपीट कर उपहति कारित व साशय अपमानित किया जो कि ऐसे प्रकोपन से लोकशांति भंग कारित करना अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। आरोपीगण को धारा 323, 504, 354(क) भा0दं0वि0 एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

28. अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला भिण्ड (म0प्र0)